

दिनांक 08.05.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश बिष्ट उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र गैरोला उपस्थित। अभियुक्त की ओर से हाजिरी माफी व स्थगन प्रार्थना पत्र कागज सं० 30ब प्रस्तुत। अंतिम अवसर के साथ स्वीकृत।

पत्रावली वास्ते प्रतिपरीक्षा परिवादी दिनांक 09.05.2023 को पेश हो।

(मौ० याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।